फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

रामस्वरूप बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 136 एल.आर. मु0नं0– 58 / 2025

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.07.2025	प्रार्थना पत्र बाबत शुद्धीकरण प्रार्थी स्वंय द्वारा पेश किया गया। प्रकरण प्रार्थी द्वारा इस आशय का पेश किया गया है कि भूमि आराजी खाता संख्या 46, 47, 188 वाके ग्राम नांदरी तथा खाता संख्या 28, 92 में प्रार्थी का नाम छंगा पुत्र रेवडया दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम रामस्वरूप पुत्र रेवडया दर्ज है इसलिए उक्तानुसार शुद्धि की जावे। प्रकरण में पटवारी हल्का नांदरी की रिपोर्ट संलग्न जिसमें छंगा तथा रामस्वरूप दोनो एक ही व्यक्ति होना प्रमाणित है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, जॉब कार्ड इत्यादि में भी में भी प्रार्थी का नाम रामस्वरूप है। इसलिए उक्तानुसार शुद्धि किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम छंगा के स्थान पर रामस्वरूप दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	